न्यायालयः—व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कटंगी, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष : श्रीमति नेहा ठाकुर)

Registration N0- RCS-B/15/2023
Filling No-RCS-B/85/2023
CNR No. MP50070007022023
Filling date 28/07/2023

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बोनकट्टा,
के द्वारा शाखा प्रबंधक सौम्यजीत चक्रवर्ती
पिता श्री समरेन चक्रवर्ती उम्र 40 साल
निवासी बोनकट्टा, तहसील तिरोड़ी,
जिला बालाघाट (म0प्र0) .... **वादी**

:::वि रू द्ध:::

01. लघुकृषक स्व सहायता समूह बोनकट्टा,
तह0 तिरोड़ी, जिला बालाघाट द्वारा,
अध्यक्ष श्री तुलाराम पिता चिरकुट किरनापुरे,
02. तुलाराम किरनापुरे आयु करीब 66 साल,
पिता श्री चिरकुट किरनापुरे (अध्यक्ष)
03. मुरलीधर आयु करीब 47 साल,
पिता श्री मानिकराम (सचिव)
04. चिंतामन पुष्पतोड़े आयु करीब 51 साल,
पिता श्री सीताराम पुष्पतोड़े (सदस्य)
05. गजानंद निमजे आयु करीब 61 साल,
पिता श्री येंकाजी निमजे (सदस्य)
06. मिताराम नेवारे आयु करीब 56 साल,
पिता श्री श्रीराम नेवारे (सदस्य)

प्रतिवादी क्र0 2 लगायत 6 सभी निवासी ग्राम
बनेकट्टा, पो0 हरदोली, तह0 तिरोड़ी,
जिला बालाघाट (म0प्र0) ....**प्रतिवादीगण**

वादी द्वारा	:–	**श्री मुकेश अग्रवाल अधिवक्ता।**
प्रतिवादीगण द्वारा	:–	**एकपक्षीय ।**

::: –निर्णय– :::
{आज दिनांक 22 फरवरी 2025 को घोषित}

01. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध देय बकाया राशि 2,55,773/– रूपये एवं अंतिम देय राशि की अदायगी तक तय ब्याज दर से वसूली हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

02. वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एक राष्ट्रीकृत बैंक है, जिसका मुख्य कार्यालय लोकमंगल 1501 शिवाजी नगर पूणे स्थित है, जिसकी एक शाखा बोनकट्टा में स्थित है। बैंक शाखा बोनकट्टा की ओर प्रबंधक सौम्यजीत चक्रवर्ती यह वाद प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत है और इस संबंध में जनरल रिकवरी एण्ड लीगल सर्विस के द्वारा दिनांक 19.04.2022 परिपत्र AX1/Suit filling/cir69/2022-23/24713 द्वारा अधिकृत किया गया है। वादी(बैंक) और प्रतिवादीगण के बीच में ऋण का समव्यवहार ग्राम बोनकट्टा तह0 तिरोड़ी, जिला बालाघाट के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। इस कारण यह वाद ऋण राशि की वसूली के लिये इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण के द्वारा ग्राम बोनकट्टा में लघुकृषक स्व सहायता समूह बोनकट्टा का गठन किया गया और इस स्वसहायता समूह के अध्यक्ष प्रतिवादी क्र0 1 एवं प्रतिवादी क्र0 2 सचिव है, शेष प्रतिवादीगण वर्णित समूह के सदस्य है। प्रतिवादीगण के द्वारा लघुकृषक स्वसहायता समूह बोनकट्टा के माध्यम से

पंप मोटर के व्यवसाय के लिये ऋण प्राप्त किये जाने के लिये वादी बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया था और उक्त वर्णित समूह के माध्यम से प्रतिवादीगण को पंप मोटर व्यवसाय हेतु 4,50,000/— रूपये का ऋण दिनांक 31.12.2012 को स्वीकृत कर प्रदान किया गया और प्राप्त ऋण को प्रतिवादीगण के द्वारा मय ब्याज सहित ऋण को अदा करने का दायित्व स्वीकार किया था और प्रतिवादीगण को लघुकृषक स्व सहायता समूह बोनकट्टा के नाम से वादी बैंक में ऋण खाता खोला गया, जिसका खाता क्रमांक 60119385478 है। इस खाते पर प्रतिवादीगण के द्वारा लिये गये ऋण की राशि एवं समय पर देय ब्याज की राशि एवं खर्च की प्रविष्टि की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा लिये जा रहे ऋण के संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने अपने स्वमित्व व आधिपत्य की भूमियों को वादी बैंक में प्रतिभूति स्वरूप बंधक रखा और बंधक की गयी सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेज प्रतिवादीगण ने वर्णित भूमि को वादी बैंक में बंधक रखा, जिसमें गजानंद पिता येंकाजी ने मौजा ग्राम पिपरटोला की ख0क0 12/8, 13/1 रकबा 0.654, ख0क0 12/10 रकबा 0.789 हेक्टेयर, तुलाराम पिता चिरकुट ने ग्राम बोनकट्टा की ख0क0 11/3, 12/3 रकबा 0.304 हेक्टेयर, चिंतामन पिता सीताराम ने मौजा ग्राम हरदोली की ख0क0 4/10, 6/11 रकबा 0.109 हेक्टेयर, ख0क0 5 रकबा 0.376 हेक्टेयर, ख0क0 7/4 रकबा 0. 405 हेक्टेयर, मुरलीधर पिता मानिक ने मौजा बम्हनी की ख0क0 299/2 रकबा 0.304 हेक्टेयर, ख0क0 290/12 रकबा 0.053 हेक्टेयर भूमि, मिताराम पिता श्री श्रीराम ने मौजा बम्हनी की ख0क0 297/1/घ रकबा 1.011 हेक्टेयर भूमि बंधक रखा गया है।

03. वादी का वाद पत्र आगे संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादी बैंक के पक्ष में प्रलेख निष्पादित कर प्रस्तुत किया गया है। वादी बैंक के द्वारा ऋण के संबंध में Hypothication Agreement for All

Agricultural Facilities दिनांक 31.12.2012 निष्पादित की थी और विधिवत उचित मुल्यांकन पर निष्पादित किया था और यह स्वीकार किया गया था कि ऋण के प्रतिभूतिस्वरूप बंधक रखी गयी कृषि भूमि भी वादी बैंक के पास बंधक रहेगी और वादी बैंक इस बंधक सम्पत्ति को विक्रय कर राशि प्राप्त कर सकती है।

04. वादी का वाद पत्र आगे संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के समूह को शासकीय योजना के तहत ऋण दिया गया था तथा उसके बाद प्रतिवादीगण ने वादी बैंक में कोई राशि जमा नहीं की है और प्रतिवादीगण को शासन से सब्सिडी मिलने के उपरांत भी अभी प्रतिवादी समूह पर 2,55,773/– रूपये बाकी है। जब वादी बैंक को प्रतिवादीगण ने राशि नियमित रूप से समय पर जमा नहीं की, तब वादी बैंक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादीगण को बकाया ऋण राशि के संबंध में एक सूचना पत्र दिनांक 23.06.2023 को प्रेषित किया जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादीगण ने वादी बैंक में राशि अदा नहीं की है और ना ही जवाब दिया गया है। वादी बैंक के पक्ष में प्रतिवादीगण ने दिनांक 31.12.2012 को प्रलेख निष्पादित किया था और वादी को यह अधिकर दिया था कि प्रतिवादीगण द्वारा ऋण अदा ना किये जाने पर वादी को अधिकार होगा कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर राशि वसूल कर सकता है। वर्णित बंधक सम्पत्ति बंधक जप्त कर राशि वसूल कर सकता है और इस देय ऋण राशि के लिये प्रतिवादीगण व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी रहेंगे तथा वादी बैंक बंधक सम्पत्ति को विक्रय की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी बैंक बंधक सम्पत्ति को विक्रय कर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वाद बंधक अनुबंध के 12 वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वादी को प्रतिवादीगण से कुल बकाया राशि 255,773/–(दो लाख पचपन हजार सात सौ तिरत्तर रूपये) प्रदान किये जाने एवं वादी बैंक को

प्रतिवादी से अंतिम देय राशि की अदायगी तक तय ब्याज 12.75 की दर से ब्याज दिलाये जाने संबंधी आज्ञप्ति पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

05. प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त समस्त तथ्यों को अस्वीकर कर विशिष्ट कथन में यह लेख किया है कि वास्तव में प्रतिवादीगण के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई बैंक से ऋण नहीं लिया गया और यदि प्रतिवादीगण समूह के माध्यम से ऋण बैंक से प्राप्त करते तो बैंक के द्वारा वर्ष 2012 में लोन प्राप्त किया था, करके बताया गया है, लेकिन वर्ष 2012 से प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का ऋण अदायगी हेतु नोटिस नहीं दिया गया और कोई सूचना भी मौखिक या लिखित रूप से बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा प्रतिवादीगण को आज पर्यंत तक नहीं दी गयी तथा प्रतिवादीगण को नोटिस मिलने के बाद जानकारी लगी तो वे लोगों की व्यवहार न्यायालय कटंगी में दिनांक 09.10.2023 की पेशी है, इस बात की जानकारी होने के पश्चात् प्रतिवादीगण उक्त नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये। वादीगण को जब ज्ञात था कि प्रतिवादीगण को समूह के माध्यम से ऋण दिया गया है तो उसकी वसूली के संबंध में 12 सितम्बर 2023 के पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं दी गयी। वादी द्वारा उचित न्यायशुल्क भी अदा नहीं किया गया है। वादी के द्वारा झूठा एवं कपटपूर्वक दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी का वाद निरस्त किया जाकर क्षतिपूरक राशि के रूप में प्रतिवादीगण को 30,000/— रूपये वादी से दिलाया जावे।

06. प्रकरण में प्रस्तुत वादपत्र, जवाबदावा तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण के अंतिम व न्यायिक निराकरण हेतु निम्न वाद प्रश्न निर्मित किये गये हैं जिनका निष्कर्ष उनके सामने अंकित कर निष्कर्ष के

कारण उनके पश्चात् दिये जा रहे हैं :–

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक से लघु कृषक स्व–सहायता समूह बोनकट्टा के नाम से खाता क्रमांक 60119385478 के माध्यम से प्रतिवादीगण के स्वामित्व की ग्राम पिपरटोला में स्थित ख0क्र0 12/8, 13/1 रकबा 0.654, ख0क्र0 12/10 रकबा 0.789 हेक्टेयर, ग्राम बोनकट्टा में स्थित ख0क्र0 11/3, 12/3 रकबा 0.304 हेक्टेयर, ग्राम हरदोली में स्थित ख0क्र0 4/10, 6/11 रकबा 0.109 हेक्टेयर, ख0क्र0 5 रकबा 0.376 हेक्टेयर, ख0क्र0 7/4 रकबा 0.405 हेक्टेयर, ग्राम बम्हनी में स्थित ख0क्र0 299/2 रकबा 0.304 हेक्टेयर, ख0क्र0 290/12 रकबा 0.053 हेक्टेयर एवं ग्राम बम्हनी में स्थित ख0क्र0 297/1/घ रकबा 1.011 हेक्टेयर प्रतिभू स्वरूप बंधक रखकर पंप मोटर के व्यवसाय हेतु 4,50,000/– रूपये दिनांक 31.12.2012 को वादी बैंक से ऋण प्राप्त किया ?	**''अंशतः प्रमाणित''**
2	क्या वादी बैंक, प्रतिवादीगण से कुल देय बकाया राशि 2,55,773/– रूपये 12.75 प्रतिशत ब्याज की दर से प्राप्त करने के अधिकारी है ?	**''अंशतः प्रमाणित''**
3	क्या वादी बैंक उक्त बंधक सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त देय बकाया ऋण राशि प्रतिवादीगण से वसूल करने का अधिकारी है?	**''अप्रमाणित''**
4	क्या वादी द्वारा दावे को विहित परिसीमा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है ?	**''प्रमाणित''**

5	क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	**''प्रमाणित''**
6	सहायता एवं व्यय ?	**''निर्णय की कंडिका– 16 के अनुसार**

–:: सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष ::–

–:: वादप्रश्न क्रमांक– 1 लगायत 3 का निराकरण ::–

नोटः– उपरोक्त वादप्रश्न आपस में संबंधित होने के कारण तथा तथ्यों की पुनरावृत्ति को निवारित करने हेतु सुविधा की दृष्टि से वादप्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. वादी साक्षी शशीकांत तिरपुड़े वा0सा0–1 द्वारा आगे यह कथन किया है कि वह दिनांक 15 दिसंबर 2022 से उपशाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। 08 जनवरी 2024 से मै शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। वह प्रतिवादी लघ ु कृषक स्व सहायता समुह बोनकट्टा की ओर से तुलाराम (अध्यक्ष), मुरलीधर (सचिव), चिन्तामन पुष्पतोड़े (सदस्य), गजानंद निमजे (सदस्य), मिताराम नेवारे (सदस्य) को पहचानता है। उसके पूर्व बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में सोम्यजीत चक्रवर्ती थे और उन्हें उच्च अधिकारियों ने एक परिपत्र के द्वारा यह वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया था। उनकी बैंक आफ महाराष्ट्र राष्ट्रीकृत बैंक है और प्रतिवादीगण को स्व सहायता समुह योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक पंप पाईप लाईन हेतु ऋण प्रदान किया गया है। इस ऋण की प्रतिभूति स्वरूप प्रतिवादी क्रमांक–2 तुलाराम ने मौजा ग्राम बोनकट्टा स्थित अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0नं0–11/3, 12/3 रकबा 0.304 हे0 भूमि, तथा प्रतिवादी क्रमांक–3 मुरलीधर ने मौजा ग्राम बम्हनी, स्थित अपने

(श्रीमति नेहा ठाकुर)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटंगी

स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0क0–299/2 रकबा 0.304 हे0, ख0नं0–290/12 रकबा 0.053 हे0, प्रतिवादी क्रमांक–4 चिन्तामन ने मौजा ग्राम हरदोली, स्थित अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0क0–4/10, ख0क0–6/11 रकबा 0.109 हे0, ख0नं0–5 रकबा 0.376 हे0, ख0नं0–7/4 रकबा 0.405 हे0 तथा प्रतिवादी क्रमांक–5 गजानंद ने मौजा ग्राम पिपरटोला, स्थित अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0क0–12/8, ख0क0–13/1 रकबा 0.654 हे0, ख0नं0–12/10 रकबा 0.789 हे0 तथा प्रतिवादी क्रमांक–6 मिताराम ने मौजा ग्राम बम्हनी, स्थित अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0क0–279/1घ रकबा 1.011 हे0 हमारी बैंक में बंधक रखा था और समूह के लिए 50,000/–रूपये के केस क्रेडिट ऋण प्राप्त किया गया था जिसे पूर्व में बंद किया जा चुका है तथा टर्म लोन 4,50,000/–रूपये का प्राप्त किया गया है।

08. इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने 4,50,000/–रूपये का ऋण लेने के बाद हमारी बैंक में अंतिम बार 13/11/2015 को 1,10,000/–रूपये ऋण खाते में जमा किया था और उसके बाद कोई राशि अदा नही की तथा उनके पूर्व अधिकारी प्रतिवादीगण के पास राशि वसूली के लिए संपर्क करते रहे, किन्तु ऋण अदा नहीं किया गया। फिर प्रतिवादीगण को अधिवक्ता श्री मुकेश अग्रवाल से दिनांक 23/06/2023 को पंजीबद्ध सूचना पत्र दिया था, जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुके है, किन्तु कोई राशि अदा नहीं हुई है। दावा प्रस्तुती तक प्रतिवादीगण पर 2,55,773/–रूपये बाकी थे। उसके बाद प्रतिवादीगण ने कोई राशि अदा नहीं की इस कारण बैंक प्रतिवादीगण से वाद प्रस्तुती के बाद से 12.75 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं संपूर्ण वाद व्यय प्राप्त करना चाहती है।

09. इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसे साक्ष्य के लिए

उच्चाधिकारियों के द्वारा दिनांक 23/08/2024 को मेल द्वारा प्राधिकरण पत्र भेजकर अधिकृत किया गया है, जो वह आज प्रस्तुत कर रहा है, जो प्र0पी0–1 है, प्रतिवादीगण द्वारा लिए जा रहे ऋण के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है, उक्त दस्तावेजों का मेमोरण्डम और डाक्यूमेंट दिनांक 31/12/2012 प्र0पी0–2 है जिसकी सत्यप्रति प्र0पी0–2सी है, ऋणि को दिए गए ऋण का स्वीकृतिपत्र प्र0पी0–3 जिसके ए से ए भाग पर तुलाराम एवं बी से बी भाग पर मुरलीधर के हस्ताक्षर है, जिसकी सत्यप्रति प्र0पी0–3सी है, रिक्वेस्ट लेटर दिनांक 31/12/2012 प्र0पी0–4 है जिसकी सत्यप्रति प्र0पी0–4सी है, डिमांण्ड प्रामीसरी नोट 31 दिसंबर 2012 प्र0पी0–5 जिसके ए से ए भाग पर तुलाराम के तथा बी बी से बी भाग पर मुरलीधर के हस्ताक्षर है जिसकी प्रमाणित प्रति प्र0पी0–5सी है, रिसिप्ट फार अमाउण्ट आफ लोन की मूल प्रति प्र0पी0–6 है जिसके ए से ए भाग पर तुलाराम के तथा बी बी से बी भाग पर मुरलीधर के हस्ताक्षर है जिसकी प्रमाणित प्रति प्र0पी0–6सी है, हाईपोटिशियन एग्रीमेंट जो 15 पृष्ठ का है, जिसकी असल प्रति प्र0पी0–7 जिसके सभी पृष्ठों पर ए से ए भाग पर तुलाराम के तथा बी बी से बी भाग पर मुरलीधर के हस्ताक्षर है जिसकी प्रमाणित प्रति प्र0पी0–7सी है।

10. इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि स्वसहायता समुह के सदस्य के बीच का अनुबंध–1 जो 4 पृष्ठ का है, जिसकी असल प्रति प्र0पी0–8 जिसके अंतिम पृष्ठ पर ए से ए भाग पर तुलाराम के तथा बी बी से बी भाग पर मुरलीधर के सी से सी भाग पर चिंतामन के, डी से डी भाग पर गजानंद, इ से इ भाग पर मिताराम के हस्ताक्षर है जिसकी प्रमाणित प्रति प्र0पी0–8सी है, कोटेसन बिल क्रमांक–134 दिनांक 30/12/2012 जिसकी असल प्रति प्र0पी0–9 जिसके ए से ए भाग पर तुलाराम के तथा बी बी से बी भाग पर मुरलीधर के हस्ताक्षर है जिसकी प्रमाणित प्रति प्र0पी0–9सी है, ऋण स्वीकृति

उपरांत भेट रिपोर्ट की असल प्रति प्र0पी0–10, जिसकी प्रमाणित प्रति प्र0पी0–10सी है, मौजा ग्राम पिपरटोला की भूमि जो गजानंद के नाम पर दर्ज है का खसरा वर्ष 2011–12 की सत्यप्रतिलिपि प्र0पी0–11, ग्राम हरदोली स्थित चिंतामन के नाम पर दर्ज भूमि का खसरा वर्ष 2011–12 की सत्यप्रतिलिपि प्र0पी0–12, ग्राम बम्हनी स्थित मुरलीधर के नाम पर दर्ज भूमि का खसरा वर्ष 2011–12 की सत्यप्रतिलिपि प्र0पी0–13, ग्राम बम्हनी स्थित मूताराम के नाम पर दर्ज भूमि का खसरा वर्ष 2011–12 की सत्यप्रतिलिपि प्र0पी0–14, ग्राम बोनकट्टा स्थित तुलाराम के नाम पर दर्ज भूमि का खसरा वर्ष 2011–12 की सत्यप्रतिलिपि प्र0पी0–15 प्रस्तुत किया है।

11. इसी साक्षी ने आगे कथन किया है कि बैंक द्वारा ऋण अदायगी के संबंध में ऋणि को पूर्व में नोटिस दिए जा चुके है, किन्तु ऋणिगण द्वारा ऋण अदायगी नहीं की गई है जिसके पश्चात वादी बैक द्वारा अपने अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण को सूचनापत्र दिनांक 23/06/2023 दिया गया था जो प्र0पी0–16 है, जिसकी पोस्टल रसीद क्रमशः प्र0पी0–17 लगायत प्र0पी0–21 है, प्रतिवादी मुरलीधर को सूचनापत्र प्राप्त हो चुका है, जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति दिनांक 05/07/2023 प्र0पी0–22, प्रतिवादी गजानंद को सूचना पत्र प्राप्त हो चुका है, जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति दिनांक 05/07/2023 प्र0पी0–23, प्रतिवादी मिताराम को प्रेषित सूचनापत्र का बंद लिफाफा जो वापस प्राप्त हुआ है जो प्र0पी0–24 है, प्रतिवादी लघु कृषक स्वसहायता समुह बोनकट्टा का खाता क्रमांक–60119385478 का बैंक स्टेटमेंट जो दिनांक 31/12/2012 से 23/12/2022 तक का है, की सत्यप्रति प्र0पी0–25 प्रस्तुत किया है, उनकी बैंक को प्रतिवादीगण से मूलधन राशि एवं वाद प्रस्तुती दिनांक से 12.25 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि दिलाई जाए एवं वाद व्यय दिलाया जाए।

(श्रीमति नेहा ठाकुर)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटंगी

12. प्र0पी01 के दस्तावेज के अनुसार शशिभूषण तिरपुड़े शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोनकट्टा को दावा प्रस्तुती हेतु अधिकृत किया गया है। प्र0पी0 2 के दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि लघुकृषक स्वसहायता समूह बोनकट्टा द्वारा वादी बैंक से इलेक्ट्रिक पंप एवं पाईप लाइन हेतु 5,00,000/— रूपये का ऋण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में प्रतिवादी मुरलीधर एवं तुलाराम द्वारा Hypothication Agreement for All Agricultural Facilities दिनांक 31.12.2012 को निष्पादित किया गया था एवं प्रतिवादी क्र0 2 लगायत 6 द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित किया था। वादी द्वारा प्रस्तुत प्र0पी0 11 लगायत 15 के दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त दस्तावेज प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि के खसरा है, जिसमें प्र0पी0 15 के दस्तावेज में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बोनकट्टा के अंतर्गत भूमि बंधक होना लेख है। परन्तु प्र0पी0 11 लगायत प्र0पी0 14 के दस्तावेज में उक्त भूमि बंधक होने के संबधं में लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा प्र0पी0 15 में वर्णित भूमि को बंधक रखे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्र0पी0 25 के दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादीगण द्वारा लिये गये ऋण राशि 4,50,000/— रूपये में से वर्तमान में 2,55,773/— रूपये शेष है। जिसे प्रतिवादीगण द्वारा अदा नहीं किया गया है। इस संबंध में वादी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

13. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अनुसार न्यायनिर्णित राशि के संबंध में दायित्व किसी वाणिज्य संव्यवहार से उद्भूत हुआ था, वहां ऐसे आगे की ब्याज दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक हो सकती है, किन्तु ऐसी दर ब्याज संविदात्मक दर से या जहां कोई संविदात्मक दर नहीं है, वहां उस दर से अधिक नहीं होगी, जिस पर वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में राष्ट्रीकृत बैंक,

धन उधार या अग्रिम देते हैं। हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ऋण 12.25 प्रतिशत की दर से ऋण दिया जाना दर्शित होता है, जबकि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में 12.75 प्रतिशत की दर से ब्याज की मांग की गयी है, चूंकि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ऋण की दर 12.25 प्रतिशत अनुबंधित है। इस प्रकार वादी प्रतिवादीगण से कुल देय बकाया राशि 2,55,773/– रूपये 12.25 प्रतिशत ब्याज की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के बंधक के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त सम्पत्ति को विक्रय कर ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निष्कर्ष **''अंशतः प्रमाणित''** एवं वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष **''अप्रमाणित''** के रूप में अंकित किया जाता है।

–:: वाद प्रश्न क्रमांक (4) का निराकरण ::–

14. वादी द्वारा अपने वाद पत्र की कण्डिका 8 में वाद कारण दिनांक 31.12. 2012 को उत्पन्न होना बताया है, जब प्रतिवादीगण ने उक्त प्रलेख वादी के पक्ष में निष्पादित किये और ऋण राशि प्राप्त किया। बंधक अनुबंध के 12 वर्ष के अंदर वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाना बताया है। परन्तु वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के बंधक के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादी द्वारा यह वाद ऋण राशि वसूली हेतु प्रस्तुत किया है। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत धन संबंधी वादों में वाद कारण उत्पत्ति दिनांक से 03 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिये, वादी द्वारा प्रस्तुत प्र0पी0 25 के दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित है कि 23 दिसम्बर 2022 को प्रतिवादीगण का खाता एन0पी0ए0 हो गया है, जिसके संबंध में वादी के अधिवक्ता द्वारा प्र0पी0 16 का सूचना पत्र दिनांक 22.06.2023 को दिया गया। इस प्रकार वाद कारण वर्ष 2022–23 में उत्पन्न होना दर्शित होता है, जिसकी 03 वर्ष की

कालावधि के अंदर वादी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विहित परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना दर्शित होता है। अतः वाद प्रश्न कमांक 4 का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** के रूप में अंकित किया जाता है।

:: वाद प्रश्न कमांक (5) का निराकरण ::–

15. वादी द्वारा वाद पत्र की कण्डिका 10 में वाद मूल्यांकन 2,55,773/– रूपये पर विधिवत 30,693/– रूपये न्यायशुल्क चस्पा किया जाना बताया है, जिस संबंध में न्यायालय शुल्क चस्पा किया गया है। न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की अनूसची–1 के अनुच्छेद 1–क के अनुसार जहां विवादग्रस्त विषय वस्तु की रकम या मूल्य रूपये पांच लाख से अधिक ना हो, वहां न्यूनतम 100/– रूपये के अध्यधीन रहते हुये 12 प्रतिशत के अनुसार न्यायशुल्क देय होगा। वादी द्वारा हस्तगत वाद प्रतिवादी के विरूद्ध 2,55,773/– रूपये की वसूली हेतु प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वाद का मूल्यांकन 2,55,773/– रूपये के अनुसार 12 प्रतिशत की दर से 30,693/– रूपये देय होगा, जो कि वादी द्वारा वाद पत्र के साथ चस्पा किया गया है, जो उचित एवं पर्याप्त है। अतः यह प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त रूप से न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः वाद प्रश्न कमांक 5 का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** के रूप में अंकित किया जाता है।

–:: वाद प्रश्न कमांक (6) का निराकरण ::–

सहायता एवं वादव्यय

16. उपरोक्त विवेचना तथा वाद प्रश्नों पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय का समाधान है कि वादी अपना वाद प्रबल संभावनाओं के आधार पर

(श्रीमति नेहा ठाकुर)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटंगी

प्रमाणित करने में अंशतः सफल रहा है। परिणामस्वरूप वादी का वाद **अंशतः स्वीकार** कर निम्नाशय की आज्ञप्ति पारित की जाती हैः—

1. वादी, प्रतिवादीगण से कुल राशि 2,55,773/— रूपये अनुबंधित दर 12.25 प्रतिशत वाद प्रस्तुती दिनांक से डिक्री दिनांक तक एवं डिक्री दिनांक से ऋण राशि अदायगी दिनांक तक प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. प्रतिवादीगण वादी का वाद व्यय वहन करेंगे।

3. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार जो भी कम हो वादव्यय में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(श्रीमति नेहा ठाकुर)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
कटंगी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

(श्रीमति नेहा ठाकुर)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
कटंगी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

NEHA THAKUR
Digitally signed by NEHA THAKUR
Date: 2025.02.22 17:21:07 +0530